

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी छोटू बाथम पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी छोटू बाथम की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी छोटू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "दादी का निधन होने से वह बाहर गया हुआ है", मौके पर फरारी पंचनामा तैयार किया गया।

वारंट के साथ फरारी पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी सुन्दरपाल एवं सुनील के समक्ष आरोपी छोटू बाथम की बाथम मौहल्ला मौ में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला, बाहर गया हुआ होना बताया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी छोटू दिनांक :04/10/2016 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी छोटू अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी छोटू की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी छोटू की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी छोटू के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी छोटू फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।